



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/415

दिनांक: 21 अगस्त 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से निर्यात माल की वापसी - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए

संदर्भ: परिपत्र संख्या 36/2026-सीमा शुल्क दिनांक 20 अगस्त 2026

उपरोक्त विषय और सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 36 के संदर्भ में, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए के तहत जारी पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2026, परिपत्र संख्या 15/2026-सीमा शुल्क दिनांक 27.03.2026 और अनुवर्ती परिपत्र संख्या 25/2026-सीमा शुल्क दिनांक 14.05.2026 के संदर्भ में जारी किया गया है।

निर्बाध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से माल ढुलाई सहित, सभी समुद्री बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से एफसीएल और एलसीएल दोनों प्रकार के माल की अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई की अनुमति होगी।

यह निर्णय लिया गया है कि तरल थोक, खंडित थोक और ठोस/शुष्क थोक अंतरराष्ट्रीय कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के मामले में निम्नलिखित उपायों का अस्थायी रूप से पालन किया जाएगा:

- समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताओं, अंतराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों में व्यवधान या अन्य रसद संबंधी आपात स्थितियों के कारण विदेशी बंदरगाहों के लिए निर्धारित तरल थोक, खंडित थोक और ठोस/शुष्क थोक माल को भारतीय बंदरगाहों की ओर मोड़ने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्रों, बंधुआ गोदामों, बंधुआ टैंकों, साइलो, यार्डों और अन्य अनुमोदित भंडारण सुविधाओं में उतारने, भंडारण और स्थानांतरण/पुनर्निर्यात के लिए अस्थायी अनुमति।
- सीमा शुल्क पर्यवेक्षण, उचित सूची तैयार करने, उपयुक्त बांड/वचन पत्र निष्पादित करने, माल की जांच करने और घरेलू खपत के लिए मंजूरी या घरेलू टैरिफ क्षेत्र में भेजने के बिना निरंतर सीमा शुल्क नियंत्रण के अधीन, ऐसी अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर प्रदान की जा सकती है।
- ठोस/शुष्क थोक माल उसी परिचालन ढांचे द्वारा शासित होगा जो खंडित थोक माल पर लागू होता है, विशेष रूप से वजन, मात्रा सत्यापन और हेराफेरी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के संबंध में।

4. जहां भी परिचालन की दृष्टि से आवश्यक हो, सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर थोक माल की पुनः पैकिंग सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के तहत मामले-दर-मामले आधार पर उचित खातों के रखरखाव और सभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जा सकती है।

बोर्ड परिपत्र संख्या 14/2007-Cus दिनांक 16.03.2007, संख्या 12/2026-Customs दिनांक 17.03.2026 और संख्या 15/2026-Customs दिनांक 27.03.2026 में सभी बंदरगाहों/हवाई अड्डों से FCL/LCL कार्गो के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जाएगा। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट की अनुमतियाँ संबंधित आयुक्त द्वारा विधिवत अधिकृत सहायक/उपायुक्त सीमा शुल्क द्वारा उचित सत्यापन के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाएँ।

एकाधिक सीमा शुल्क स्टेशनों से जुड़े माल के हस्तांतरण के लिए, भारतीय बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से कंटेनरीकृत माल की आवाजाही और हस्तांतरण के लिए परिपत्र संख्या 15/2026-सीमा शुल्क दिनांक 27.03.2026 के तहत निर्धारित मौजूदा प्रक्रियाएं लागू रहेंगी।

ये सुविधा प्रदान करने वाले उपाय 31.10.2026 तक लागू रहेंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक परिपत्र देखें।

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202608211205_33.pdf

संलग्न संदर्भ परिपत्र:

1. परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2026-
https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260318023059.pdf
2. परिपत्र संख्या 15/2026-सीमा शुल्क दिनांक 27.03.2026
https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260330033254.pdf
3. परिपत्र संख्या 25/2026-सीमा शुल्क दिनांक 14.05.2026
https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260515113625.pdf

यह सूचना के लिए है।

साभार
भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल